परिशिष्ट-19

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति,कल्याण विभाग
सं0–1/पी0सी0आर0 (विविध)09–28/12– 2033

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 19.9.12

विषय– **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के अन्तर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, परिवहन भत्ता की देय सुविधाओं के मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक–5285 दिनांक–10.08.2012।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कई जिला पदाधिकारी द्वारा पृच्छा की जा रही है कि यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं परिवहन भत्ता की देय सुविधाओं की राशि का भुगतान किस दर से किया जाय?

2– इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–11(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि "अत्याचार पीडित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाडा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाडे का संदाय किया जाएगा।"

i- सामान्य रूप से एक ही जिला में संबंधित वाद के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान उपस्थित रहने के लिए बस या ट्रैक्सी भाडा तथा ट्रेन भाडे पर एक तरफी प्रति व्यक्ति ₹100/–(एक सौ रूपये) से अधिक व्यय होने की संभावना नही है। अतः इस हेतु भुगतान की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रति व्यक्ति/प्रति उपस्थिति ₹100/–(एक सौ रूपये) आने एवं ₹100/–(एक सौ रूपये) जाने अर्थात कुल ₹200/–(दो सौ रूपये) के दर से भुगतान किया जा सकता है।

ii- वैसे मामले जिसमें प्रति व्यक्ति/प्रति उपस्थिति का दावा ₹200/–(दो सौ रूपये) से अधिक होने पर वास्तविक ट्रेन टिकट/बस भाडा रसीद/रिक्शा भाडा रसीद/बस टिकट उपलब्ध कराने पर वास्तविक भाडा भुगतान किया जा सकता है।

3–इसी प्रकार नियम–11(4) में स्पष्ट है कि "साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा। जो उस न्यूनतम मजदूरी से, जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नही होगा।"

i- इस प्रावधान से स्पष्ट है कि दैनिक भरण–पोषण हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन वर्त्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अकुशल मजदूरी हेतु निर्धारित कम से कम ₹149/–(एक सौ उन्नचास रूपये) की राशि देय होगी। यह राशि न्यूनतम मजदूरी के वर्त्तमान दर में संशोधन होने पर बढ सकता है।

4—अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम—1995 के नियम—11 के अनुसार अत्याचार से पीडित व्यक्ति उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, भरण—पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं पर होनेवाले व्यय का वहन अत्याचार राहत मद के लिए आवंटित राशि से विकलनीय होगा। अत्याचार राहत पर व्यय किये गये प्रत्येक मद के लिए अलग—अलग लेखा—जोखा पंजी में संधारित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारभ्भ में ही प्रत्येक मद के लिए अलग—अलग आकलन कर राशि के लिए मांग पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्णित परिस्थिति में अनुरोध है कि कृपया उक्त नियमावली के नियम—11(4) के अनुसार राहत राशि के अतिरिक्त साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, परिवहन भत्ता की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्रत्येक माह किये गये कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करते हुए प्रतिवदेन भेजा जाय।

विश्वासभाजन

18/9/12

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—1/पी0सी0आर0(विविध)—09—28/2012— 2033 पटना, दिनांक— 19.9.12

प्रतिलिपि— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/सभी विशेष पदाधिकारी(नियम—10 के तहत)/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/12

सरकार के सचिव।

Rameshwar babu sanjay